



वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/FR-56/69/2017-18

Date: 09.09.2024

परिपत्र सं. 29 / 2024
CIRCULAR No. 29 / 2024

इस कार्यालय ने एफआर 56 (जे) के तहत 50/55 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है।

इस संबंध में दिनांक 11.09.2024 को प्रातः 11.30 बजे जेडीसी कक्ष में बैठक निर्धारित की गई है।

अनुरोध है कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने की कृपा करें।

This office has constituted Committee for review the cases of Employees who attended the age of 50/55 years under FR 56 (j).

In this regard, a meeting has been scheduled on 11.09.2024 at 11.30 am in JDC's Chamber.

It is requested to kindly remain present on the said date and time.

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)

उप विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

F No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/FR-56/69/2017-18/10795

Date:- .09.2024

प्रति:

- संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़- सेज़
- उप विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़
- विआकास /सविआ प्रभारी (सतर्कता), सीपज़-सेज़
- विआका/संविआका/उविआका/विआ